an>

Title: Need to discontinue crop insurance scheme based on weather statistics and to re-start National Agriculture Insurance Scheme particularly in Nalanda district of Bihar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : नालंदा जिले में फसल बीमा योजना में काफी गड़बड़ी हो रही है। जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहां फसल बीमा के लाभ-हानि का दावा वर्षा मापक यंत्र से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित करना होता है, किंतु एक प्राइवेट कंपनी एनसीएमएसएल द्वारा वर्षापात द्वारा एकत्रित कर फसल बीमा लाभ दिया जा रहा है जो बिल्कुल फर्जी है। यह धोखाधड़ी साफ नजर आता है कि एनसीएमएसएल द्वारा 16.7.2012 को वर्षा मापक यंत्र का आंकड़ा 5.58 एमएम वर्षा दिखाया गया जबकि बिहार सरकार के नालंदा जिला के सांख्यिकी विभाग द्वारा दिखाया गया आकड़ा दिनांक 16.7.2012 में 17.02 एम.एम. दिखाया गया है। इसी प्रकार दिनांक 17.07.2012 को एनसीएमएसएल द्वारा प्राप्त आंकड़ा 50.28 एम.एम. है जबकि बिहार में सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा 17.07.2012 को 64.02 एम.एम. बारिश है। इसी प्रकार ढेर सारे आंकड़ों में काफी भिन्नता है। साथ ही एनसीएमएसएल द्वारा किसानों को फसल बीमा का दावा भुगतान 1004 रूपये प्रति हैक्टेयर से किया गया, जबकि बिहार सरकार के सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार करीब 3000 रूपये होना चाहिए। इसी प्रकार जिले में करीब 50 हजार किसानों को राशि दी जा रही है। एक चौंकाने वाला विषय है कि गेहूं में प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत लिया जाता था जो 2014 से बीमित राशि का 4.8 प्रतिशत लिया जा रहा है। इसी प्रकार धान (खरीफ) 2014 के पूर्व बीमित राशि का प्रीमियम 2.5 प्रतिशत था, जो 2014 में 5 प्रतिशत कर दिया गया, जो किसानों के द्वारा भुगतान संभव नहीं है।

अतः कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि किसानों के इस महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लेकर फसल बीमा में पहले की तरह प्रीमियम रहने दिया जाए तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना को बंद कर पूर्व में संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया जाए। साथ ही साथ खरीफ एवं रबी का बीमित राशि प्रति हेक्टेयर बढ़ाया जाय।